

अधिवक्तागण को सुना गया।  
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक  
२४/०७/२२ को पेश हो।

२४/७/२२

अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय  
अलग से लिखवाया जाकर सुनाया  
गया। वादी का वादपत्र खारिज व  
प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम  
स्वीकार किया जाता है। पचा  
डिक्री इस आशय का जारी हो।  
पचा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार  
श्रीकरणपुर को पालनाथ प्रेषित हो  
पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से  
कम होकर दाखिल दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री कल्याणपुर